



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128693-DB

सुरक्षित :- 17.06.2026

प्रदत्त :- 23.06.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - 761 वर्ष 2026

कपिल चुध

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : मोहित सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

चैंबर में

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति विवेक सरन

(माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ द्वारा सुनाया गया)

1. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुश्री अंजलि झा (जिनके साथ श्री पारस अनेजा और प्रियदर्शी मनीष थे) और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. की बातें सुनीं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहतों की मांग करते हुए दायर की गई है :-

- "(i) 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) के तहत एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, जिसमें प्रतिवादी को याचिकाकर्ता को पेश करने का आदेश दिया जाए; साथ ही याचिकाकर्ता की हिरासत, गिरफ्तारी और उसके बाद की रिमांड और कस्टडी को असंवैधानिक, गैर-कानूनी और मनमाना घोषित करते हुए उसे तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाए;
- (ii) 'सर्टिओरारी' (अभिलेख मंगाने का आदेश) के तहत एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, जिसके द्वारा गौतम बुद्ध नगर के विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमा संख्या 287/2025 में (बी.एन.एस., 2023 की धाराओं 318(4), 338, 336(3), 340(2), 345(2), 61(2) के तहत) 08.05.2026 को पारित आदेश और उससे जुड़ी सभी कार्यवाही को रद्द किया जाए;
- (iii) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उचित समझे।
- (iv) खर्चों सहित इस याचिका को स्वीकार करना।"

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता 08.05.2026 को शाम 6:45 बजे अपनी गैर-कानूनी गिरफ्तारी के बाद से उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की कासना जिला जेल में बंद है। यह गिरफ्तारी तब हुई जब गुजरात पुलिस ने उसे न्यायालय द्वारा जारी "बी" वारंट के तहत गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश की एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) की न्यायालय में पेश किया; पेशी के दौरान शाम 6:00 बजे उससे हाथ से

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लिखे "सूचना पत्र" पर ज़बरदस्ती हस्ताक्षर करवाए गए थे और उसके 45 मिनट बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। याचिकाकर्ता को सीजीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 132(1) और 132(5) के तहत मुकदमा अपराध संख्या 25342/2026 में गिरफ्तार किया गया था और वह 20.04.2026 से साबरमती सेंट्रल जेल में बंद था, लेकिन बाद में 13.05.2026 को उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। 08.05.2026 को गुजरात पुलिस द्वारा पेश किए जाने के बाद, गौतम बुद्ध नगर के कसाना पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने एसीजेएम के सामने याचिकाकर्ता की न्यायिक हिरासत के लिए मौखिक रूप से अनुरोध किया। हालाँकि, जब याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि गिरफ्तारी न होने की स्थिति में न्यायिक हिरासत नहीं दी जा सकती, तो याचिकाकर्ता को शाम 6:00 बजे "सूचना पत्र" पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया; इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और शाम 6:45 बजे पुलिस ने उसके हस्ताक्षर लिए।

4. न तो कोई गिरफ्तारी मेमो तैयार किया गया और न ही वह याचिकाकर्ता, उसके बेटे या उसके अधिवक्ता को दिया गया। इसके अलावा, गिरफ्तारी का कोई आधार या विश्वास करने का कोई कारण भी नहीं बताया गया। याचिकाकर्ता, उसके बेटे या याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को "सूचना पत्र" की कॉपी भी नहीं दी गई। बीएनएस, 2023 की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 345(2), 61(2) के तहत एफआईआर संख्या 287/2025 और इसी तरह बीएनएस, 2023 की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 345(2), 61(2) के तहत एफआईआर संख्या 288/2025 के संबंध में 08.05.2026 के अलग-अलग रिमांड आदेशों द्वारा, याचिकाकर्ता को 14 दिनों यानी 21.05.2026 तक हिरासत में भेज दिया गया था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. याचिकाकर्ता को 08.05.2026 को प्रोडक्शन वारंट पर पेश किया गया था और उसे गुजरात पुलिस ने 20.04.2026 को गिरफ्तार किया था। इसलिए, यू.पी. पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार नहीं कर सकती थी क्योंकि वह तब भी गुजरात में मजिस्ट्रेट की कस्टडी में था। पुलिस का यह काम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **धनराज असवानी बनाम अमर एस. मूलचंदानी (मुकदमा संख्या (2024) 10 एस सी सी 336)** के मामले में तय किए गए सिद्धांत के खिलाफ है।

6. इसके अलावा, भले ही याचिकाकर्ता पहले से ही साबरमती सेंट्रल जेल में बंद था, लेकिन कासना पुलिस द्वारा 08.05.2026 को की गई गिरफ्तारी को देखते हुए, **धनराज असवानी बनाम अमर एस. मूलचंदानी (केस संख्या (2024) 10 एस सी सी 336)** के फैसले के पैराग्राफ 65.3 के अनुसार, याचिकाकर्ता को बाद वाले अपराध के संबंध में कानून द्वारा दिए गए सभी अधिकार मिलने चाहिए थे, क्योंकि उसे स्वतंत्र रूप से सुरक्षा प्राप्त थी। इसलिए, गिरफ्तारी मेमो, गिरफ्तारी के आधार और गिरफ्तारी का कारण याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराया जाना ज़रूरी था, भले ही उसे यू.पी. पुलिस ने गिरफ्तार किया हो, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धनराज असवानी बनाम अमर एस. मूलचंदानी के मामले में, जो (2024) 10 एस सी सी 336 के तौर पर रिपोर्ट किया गया है, यह कहा था:

"56. जैसा कि पिछले पैराग्राफ में बताया गया है, एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को किसी अपराध के सिलसिले में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर सकता है, जबकि वह पहले से ही किसी दूसरे अपराध में हिरासत में हो। हालाँकि, ऐसी औपचारिक गिरफ्तारी से आरोपी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पुलिस अधिकारी की हिरासत में नहीं आता है, क्योंकि आरोपी उस मजिस्ट्रेट की हिरासत में ही रहता है जिसने उसे पहले अपराध में न्यायिक हिरासत में भेजा था। एक बार ऐसी औपचारिक गिरफ्तारी हो जाने के बाद, पुलिस अधिकारी को बिना किसी देरी के पीटी वारंट जारी करवाने के लिए अधिकार-क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के सामने सीआर.पी.सी.की धारा 267 के तहत आवेदन करना होता है। यदि सीआर.पी.सी.की धारा 267 के तहत बताई गई ज़रूरतों के आधार पर अधिकार-क्षेत्र वाला मजिस्ट्रेट पीटी वारंट जारी करता है, तो आरोपी को वारंट में बताई गई तारीख और समय पर उस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, जो सीआर.पी.सी.की धारा 268 और 269 के अधीन होता है। अधिकार-क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने पर, आरोपी को पुलिस या न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है या ज़मानत पर रिहा किया जा सकता है, यदि इसके लिए आवेदन किया गया हो और मंजूरी दी गई हो।"

8. याचिकाकर्ता को बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 35 के तहत कभी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। बिना कोई नोटिस जारी किए यू.पी. पुलिस की यह कार्रवाई बी.एन.एस.एस. की धारा 35(3) के आदेश और **सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, (मामला संख्या (2026 एस सी सी ऑनलाइन एससी 162)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए कानून का साफ़ उल्लंघन है।

9. याचिकाकर्ता को उसकी गिरफ्तारी के समय न तो गिरफ्तारी का मेमो दिया गया और न ही गिरफ्तारी के आधार बताए गए। चूंकि प्रतिवादी गिरफ्तारी का मेमो जारी करने और/या गिरफ्तारी का लिखित आधार देने में विफल रहे हैं, इसलिए याचिकाकर्ता को रिहा किया जाना चाहिए। ऐसा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वी. सेंथिल बालाजी बनाम राज्य, (2024) 3 एस सी सी 51 मामले में कहा गया है और पंकज बंसल बनाम भारत संघ, (2024) 7 एस सी सी 576 मामले में भी इसकी पुष्टि की गई है। इस मामले में भी यह स्पष्ट है कि गिरफ्तारी के आधार गौतम बुद्ध नगर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी नहीं किए गए हैं।

10. याचिकाकर्ता को वे कारण भी नहीं बताए गए जिनके आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने का फैसला किया। सबसे अहम बात यह है कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के बारे में उसके किसी दोस्त या रिश्तेदार को सूचित नहीं किया गया। यह **मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य (2025 आईएनएससी 1288) और विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य व अन्य ((2025) 5 एस सी सी 799)** के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

11. यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता के किसी दोस्त या रिश्तेदार को उसकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित नहीं किया गया था। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा '**विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य व अन्य**' (2025) 5 एस सी सी 799 मामले में तय किए गए कानून का उल्लंघन है, जिसके अनुसार गिरफ्तारी के कारण गिरफ्तार व्यक्ति के रिश्तेदार, दोस्त या उसके द्वारा चुने गए किसी व्यक्ति को भी बताए जाने चाहिए।

12. विद्वान ए.जी.ए. ने एक जवाबी हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता कानून का पालन करने वाला नागरिक नहीं है। वह रिकॉर्ड में दिए गए पते पर नहीं रह रहा है। उसने अपनी कंपनियाँ गलत पतों पर रजिस्टर करवाई हैं। अगर उसे जेल से रिहा किया जाता है

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तो वह कभी भी न्यायालय के सामने पेश नहीं होगा और मुकदमे में सहयोग नहीं करेगा। गिरफ्तारी के कारणों वाला गिरफ्तारी मेमो याचिकाकर्ता को दिया गया था। आगे यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता को अपनी गिरफ्तारी के बारे में परिवार के सदस्यों/दोस्तों और अधिवक्ता को सूचित करने के उसके अधिकार के बारे में बताया गया था और उसके बाद उसे न्यायालय के सामने पेश किया गया, इसलिए कोई गैर-कानूनी काम नहीं किया गया। जवाबी हलफ़नामे के पैराग्राफ 11 में, इसके विपरीत यह बात कही गई है कि चूँकि याचिकाकर्ता को पहले डीजीजीआई, गुजरात ने गिरफ्तार किया था और उसका गिरफ्तारी मेमो वहीं बनाया गया था, इसलिए गौतम बुद्ध नगर में दूसरा गिरफ्तारी मेमो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वह पहले से ही न्यायिक हिरासत में था और उसी आधार पर उसे सेंट्रल जेल, साबरमती, अहमदाबाद से लाया गया और गौतम बुद्ध नगर की न्यायालय में पेश किया गया।

13. इसके अलावा यह भी कहा गया है कि **धनराज असवानी (उपरोक्त)** का फैसला इस मामले में लागू नहीं होता, क्योंकि याचिकाकर्ता पहले ही एक पुराने मामले में हिरासत में था। बी.एन.एस.एस. की धारा 35(3) का प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होता क्योंकि याचिकाकर्ता पहले से ही हिरासत में था, इसलिए जांच अधिकारी उसे बी.एन.एस.एस. की धारा 35(3) के तहत नोटिस भेजकर नहीं बुला सकते थे। याचिकाकर्ता ने टैक्स चोरी के मकसद से फ़र्जी बिल बनाए हैं। वह एक अंतरराष्ट्रीय अपराधी है और इस न्यायालय से उसे कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए।

14. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता को गुजरात में गिरफ्तार किया गया था और बी-वारंट के आधार पर गौतम बुद्ध नगर ज़िले के कस्मा लाया गया था। जवाबी हलफ़नामे में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी का कोई आधार रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इसमें यह माना गया है कि याचिकाकर्ता के किसी दोस्त या रिश्तेदार को उसकी गिरफ्तारी के बारे में कभी सूचित नहीं किया गया था। उसे केवल अपनी गिरफ्तारी के बारे में अपने रिश्तेदार, दोस्त या अधिवक्ता को सूचित करने के अधिकार के बारे में बताया गया था। रिकॉर्ड पर यह बात है कि याचिकाकर्ता ने अभी तक जमानत की कोई अर्जी देकर इस न्यायालय का दरवाज़ा नहीं खटखटाया है और उसकी जमानत अर्जी केवल विचारण न्यायालय द्वारा ही खारिज की गई है।

15. हमें यह भी पता चला है कि याचिकाकर्ता का नाम एफ.आई.आर.. में नहीं था और जांच के दौरान उसका नाम सामने आया। उसे गुजरात से लाया गया और बी-वारंट के आधार पर गौतम बुद्ध नगर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया; इसलिए प्रतिवादी याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी का कारण बताए बिना या गिरफ्तारी के कारणों की कोई कॉपी दिए बिना उसकी गिरफ्तारी को सही ठहरा रहे हैं। गिरफ्तारी के कारणों को जवाबी हलफनामे में भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है। याचिकाकर्ता को पहले सीजीएसटी एक्ट की धारा 132(1), 132(V) के तहत केस क्राइम संख्या 25342/2026 में गिरफ्तार किया गया था और वह 20.04.2026 से साबरमती सेंट्रल जेल में बंद था। इसलिए, मौजूदा एफ.आई.आर.. उसी अपराध के संबंध में दूसरी एफ.आई.आर.. लगती है। सीजीएसटी एक्ट एक पूरा कानून है। एक बार जब सीजीएसटी एक्ट के प्रावधानों के तहत मुकदमा चल रहा हो, तो पुलिस द्वारा बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों के तहत बाद में मामला दर्ज करना सही नहीं है।

16. आखिर में, हम पाते हैं कि इस मामले में ट्रांज़िट रिमांड के नियम का उल्लंघन हुआ है। अगर कोई पुलिस अधिकारी वारंट तामील करने के लिए दूसरे राज्य जाता है, तो उसे नए अधिकार क्षेत्र में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या स्थानीय पुलिस अधिकारी के पास वारंट को एंडोर्स (मंजूरी) कराने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के लिए ले जाना होगा। जब किसी आरोपी को वारंट जारी करने वाले राज्य के बाहर गिरफ्तार किया जाता है, और वारंट जारी करने वाली न्यायालय दूर हो, तो आरोपी को स्थानीय एग्जीक्यूटिव/ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। आरोपी को उस राज्य में ले जाने के लिए, जहाँ से वारंट जारी किया गया था, पुलिस को ट्रांज़िट रिमांड लेना होगा। इस मामले में, याचिकाकर्ता को गुजरात राज्य के अहमदाबाद की साबरमती जेल से गिरफ्तार किया गया था और उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में लाया गया था। ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि याचिकाकर्ता को कभी किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया हो ताकि गुजरात राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य तक उसके लिए ट्रांज़िट रिमांड लिया जा सके।

17. इसलिए, मामले की सभी परिस्थितियों और तथ्यों को देखते हुए, याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी, हिरासत और रिमांड गैर-कानूनी लगती है और इसे रद्द किया जाता है।

18. याचिकाकर्ता को इस मामले में तुरंत जेल से रिहा करने का आदेश दिया जाता है।

19. हालाँकि, प्रतिवादियों के पास यह अधिकार होगा कि वे कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ नए सिरे से कार्रवाई कर सकें।

23 जून 2026

रोहित

(न्यायमूर्ति सिद्धार्थ) (न्यायमूर्ति विवेक सरन)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।